फा.सं. 6/35/2012-एफआई

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

तीसरा तल, जीवन दीप भवन,

नई दिल्ली, दिनांक: 07.01.2013

सेवा में,

1. सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।
2. सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष (प्रायोजक बैंक के जरिए)।

विषयः **ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बायोमेट्रिक नकद वितरक (कैश डिसपेंसर्स) लगाना।**

महोदय/महोदया,

मुझे विभिन्न सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर 'नकद वितरक को लगाने तथा इसके प्रबंधन की सेवाओं को बाहरी स्रोतों से करवाने' के संबंध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अंतिम रूप दिए गए आरएफपी का उल्लेख करने का निदेश हुआ है।

2. आरएफपी में यह प्रावधान है कि नीलामी बोली लगाने वाले को बायोमेट्रिक रूप से कार्य करने वाली नई सीडी (न कि नवीकृत) उपलब्ध करानी चाहिए।

3. अतः यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया जाता है कि उपलब्ध कराई जा रही सीडी, विशेष रूप से ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जा रही सीडी में बायोमेट्रिक प्राधिकार के लिए सुविधा हो ताकि ग्राहक इसका उपयोग कर सकें।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार मेहन)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाषः 23748771